रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1987/अग्रहायण 28, 1909

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19, 1987/AGRAHAYANA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1987

[illegible] करते हुए और उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय शिलांग (समूह "क" और समूह "ख")', भर्ती नियम, 1985 भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 5/21/83—एन ई II तारीख 15-5-1985 को जहां तक उनका संबन्ध निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी परिषद्, शिलांग के कार्यालय में निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) (समूह "क") के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं : अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तर-पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग, निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) (समूह "क") भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ आशुलिपिक	1*(एक). 1987 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1800-द०रो०-50-2300 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 1200-2040 रुपये के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ आशुलिपिक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में [illegible] किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अवर चिकित्सा अधीक्षक लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल —अध्यक्ष 2. बाल रोग विज्ञानी के आचार्य कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली —सदस्य 3. उप चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल —सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं० ए० 12018/7/87-एम०ई०/एम०ई० (यू०जी०)]

पी०एल० कपूर, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 951.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Stenographer in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi SeniorStenographer, Group C, Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CSS (Pension) Rule, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Senior Stenographer	1 (One)* (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Serivce, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-Selection	Non applicable	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years	100% by promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Junior Stenographer in the pay scale of Rs. 1200-2040 with 5 years regular service in the grade.	Group 'C' D.P.C. (for considering Promotion/Confirmation) consisting of following:— 1. Additional Medical Superintendent L.H.M.C. & S.K. Hospital. — Chairman 2. Professor of Pediatrics, KSCH, New Delhi. — Member 3. Deputy Medical Superintendent, K S.C Hospital — Member 4. Administrative Officer — Member	Not applicable

[No. A.12018/7/87/ME/ME(UG)]

P. L. KAPUR, Desk Offr.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Operation Theatre Attendant	4 (Four)* 1987	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150	Non-selection	Between 18-25 years (Relaxable upto 35 years in the case of Government Servants). Note : The crucial date for determining the age limit in each case will be the last date upto which employment exchanges are asked to nominate candidates.	Not applicable.

*Subject to variation dependent on work load.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
By promotion from Ward-Orderlies/Nursing Orderlies/Stretcher Bearer/Ayah.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of the following: 1. Deputy Medical Superintendent — Chairman 2. Specialist Grade I/II, Officer of the concerned Department. — Member 3. Labour Welfare Officer. — Member	Not applicable.

[No. A-12018/14/86/ME/ME(UG)]

सा० का० नि० 951 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] नई दिल्ली में ज्येष्ठ आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली ज्येष्ठ आशुलिपिक समूह "ग" भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :